न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 09 / 20201 / बाड़मेर

अपीलांट

1. चुतराराम पुत्र रामुराम
2. मोहनलाल पुत्र रामुराम
3. गोगाराम पुत्र दौलाराम
4. मोहनलाल पुत्र दौलाराम
5. कसुम्वी पत्नी दौलाराम
6. तुलछाराम पुत्र भींयाराम
7. सोनाराम पुत्र भींयाराम
8. वरींगाराम पुत्र भींयाराम
9. पांचाराम पुत्र भींयाराम
10. धर्माराम पुत्र गुलावाराम जाति विश्नोई निवासी गुणेशानियो की ढाणी तहसील धौरीमन्ना जिला वाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.सांवताराम पुत्र हमीराराम जाति विश्नोई निवासी गुणेशिाणियों की ढाणी तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर
2.ग्राम पंचायत धोरीमन्ना
3.शाखा प्रबंधक, सहकारी भूमि विकास बैंक, बालोतरा शाखा धौरीमन्ना, जिला बाड़मेर
4.श्रीमान तहसीलदार धौरीमन्ना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 353/2015 बअनवान सांवताराम बनाम चुतराराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 21.03. 2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री करनाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.08.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1049/827 रकवा 06.01 वीघा ग्राम गुणेशानियो की ढाणी में अवस्थित है। जिसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं है और मेरा अन्य खसरा संख्या 100 रकवा 37.08 वीघा ग्राम कातरला खिलेरियान में संयुक्त खातेदारी में कब्जा काश्त का है। उस खेत में मीठा पानी और सिंचाई हेतु प्रार्थी का वेरा मय विद्युत संवंध है। खसरा संख्या 1049/827 व खसरा संख्या 1039/836 में सिंचाई हेतु क्रय किया था, जिसमें पाईप लाईन विछाकर उक्त खसरों में सिंचाई व घरेलू पानी की आपूर्ति व गाय–भैस मवेशियों के पीने व चारा उगाने के लिये आपूर्ति की जावेगी। प्रार्थी को सिंचाई हेतु भूमिगत पाईप लाईन विछाने हेतु खसरा संख्या 818 रकवा 47.10 वीघा उतरदाता संख्या 04 की सरकारी सार्वजनिक रास्ता भूमि खसरा संख्या 819 रकवा 22.18 वीघा में से भूमिगत पाईप लाईन खातेदार एवं अपीलांटगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पाईप लाईन बिछाने में बाधा पैदा कर रहे है इस आशय का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को विधि व न्याय के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना से अधीनस्थ कर्मचारियो ने जो मौका रिपोर्ट भेजी गई है, वह भी एकतरफा है, जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण संख्या 01, 07 व 08 द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाव का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया तथा रास्ते में जहां से पाईप लाईन बिछाई जानी है, वहां पर अपीलांटगण की ढाणियां, टांके व पशु बाड़े बने हुये है। मौके पर किसी तरह से भूमि खाली नहीं है तथा ढाणियां हटाकर पाईप लाईन डालना कतई न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त तथ्यों पर गौर किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में सिंचाई करने हेतु पाईप लाईन ले जाने के लिए प्रस्तावित विकल्प के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी की जोत में सिचाई करने एवं अन्य प्रयोजन के लिए पाईप लाईन ले जाना मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांटगण को बिना सुने एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। मौका फर्द दिनांक 14.07.2015 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिए जहां पर भूमि को प्रस्तावित किया गया वो मौके पर खाली है या नहीं स्पष्ट नहीं किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना एवं पत्रावली पर आये तथ्यों पर गौर किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को डिसाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 353/2015 बअनवान सांवताराम बनाम चुतराराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 21.03.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का मौका दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरिवन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर